# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1696 / 2015.................................. जिला ...............जयपुर..................................................

उनवान : मैसर्स गोविन्दम् एजेन्सीज, ए–23बी, शास्त्री नगर, जयपुर.

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

(2) सहायक आयुक्त, विशेष वृत–3, जयपुर (3) वाणि. कर अधि., विशेष वृत–9, जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**खण्डपीठ**

**श्री मदन लाल, सदस्य**

**श्री मनोहर पुरी, सदस्य**

10 / 11 / 2015 अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 130 / अपील्स–तृतीय / स्थगन / 2015–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.10.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–नवम्, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 33 सपठित आदेश दिनांक 29.06.2015 अन्तर्गत धारा 24, 55 से सृजित मांग राशि रूपये 12,64,753 / – की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने से इन्कार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 के दौरान 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी को 5 प्रतिशत की दर से विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होने के कारण विवादित बिक्री पर 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं ब्याज रूपये 12,64,753 / – का आरोपण आदेश दिनांक 08.09.2015 सपठित आदेश दिनांक 29.06.2015 से किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया स्थगन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4), अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09.10.2015 से अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए, प्रकरण में बकाया मांग राशि **रूपये 12,64,753 / –** की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत माल मैसर्स परफैटी वानमेले प्रा0 लि0 से क्रय किया गया है, जिसके द्वारा आलौच्य अवधि का अन्तर कर जमा करवा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विक्रेता व्यवहारी द्वारा जमा करवाये गये चालानों की प्रतियां प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पर किया गया करारोपण दोहरे करारोपण की श्रेणी में आने से विवादित मांग राशि के पेटे प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने से विवादित मांग राशि की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

लगातार..........2

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.........1696 / 2015.................................. जिला ..............जयपुर...........................................

उनवान : मैसर्स गोविन्दम् एजेन्सीज, ए–23बी, शास्त्री नगर, जयपुर.

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

(2) सहायक आयुक्त, विशेष वृत–3, जयपुर (3) वाणि. कर अधि., विशेष वृत–9, जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>–: 2 :– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10 / 11 / 2015 | राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद ने अवर अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल का विक्रय 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज का आरोपण किया गया है। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।<br><br>उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में शेष वसूली योग्य मांग राशि **रूपये 12,64,753 / –** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का *गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।*<br><br>*निर्णय सुनाया गया।*<br><br>[signature] 10.11.2015 [signature] 10-11-2015<br><br>सदस्य — राजस्थान कर बोर्ड — अजमेर<br><br>सदस्य — राजस्थान कर बोर्ड — अजमेर | |